>

Title: Need to convert consumer pump outlets selling diesel into retail pump outlets to enable the consumer pump outlets in Maharashtra to survive.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सरकार द्वारा कंज्यूमर और रिटेल आउटलेट पंप के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस बनायी गयी है। सरकार ने इस गाइडलाइन्स में अचानक बदलाव किया है। अब कंज्यूमर पंप पर सब्सिडी हटाकर वहाँ डीजल प्रति लीटर रू0 65/- दर पर बिकी की जा रही है। जबकि रिटेल आउटलेट पर प्रति लीटर रू0 53/- से बिक्री हो रही है। यानी रिटेल के हिसाब से कंज्यूमर पंप पर रू0 12/- प्रति लीटर ज्यादा भाव से बिक्री हो रही है। इस कारण कंज्यूमर पंप की सेवा लेने वाले ग्राहक अब रिटेल पंच से डीजल ले रहे हैं। इस वजह से कंज्यूमर पंप पर सहकारी संस्थाओं ने बड़ी मात्रा में इनवेस्टमेंट की है और सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। कंज्यूमर पंच की बिक्री कम हो गयी तो यह इनवेस्टमेंट बेकार हो जाएगी, इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर होगा। सरकार एक तरफ बूंद-बूंद तेल बचाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ विपरीत निर्णय ले रही है। कंज्यूमर पंच पर की गयी इनवेस्टमेंट बेकार न हो और सहकारी संस्था की अर्थव्वस्था पर बुरा असर न पड़े इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि कंज्यूमर आउटलेट को रिटेल में परिवर्तित किया गया तो कंज्यूमर पंप की बिक्री पर होने वाला विपरीत असर कम हो जाएगा और सामान्य जनता को होने वाला नुकसान कम हो जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा कंज्यूमर पंच को रिटेल पंप में परिवर्तित करने का निर्णय शीघ्र लिया जाय।